

हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत इस विभाग की आन्तरिक शिकायत कमेटी का पुर्नगठन निम्नप्रकार से किया जाता है:-

1	श्रीमती अमिता रानी, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्यालय	Presiding Officer
2	श्री सुरेन्द्र सिंह, अधीक्षक, मुख्यालय	Member
3	श्रीमती अनिता रानी, उप-अधीक्षक, मुख्यालय	Member
4	श्री रमेश कुमार, उप-अधीक्षक, मुख्यालय	Member

दिनांक, चण्डीगढ़
02.09.2020

आनन्द मोहन शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग।

पृ० क्रमांक: 744-स.क(1)-2020

दिनांक: 07.09.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।
- 2 निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, बेज न० 15-20, सैक्टर-4, पंचकूला।
- 3 सभी अधिकारी/ब्रांच इन्चार्ज मुख्यालय चण्डीगढ़।
- 4 सभी जिला कल्याण अधिकारी हरियाणा राज्य में।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।
- 6 प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाईट पर दर्शाने के लिए।

Raghuwari Singh

अधीक्षक (स.क)

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग।